[2018] 4 एससीआर 338

ए तपन कुमार दत्ता

बनाम

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल

(2007 की सिविल अपील संख्या 2014) बी 24 अप्रैल, 2018

[आरकेके]। अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्तिगण]

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 158 बीडी - तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित अघोषित आय - ग धारा 158 बीडी के तहत आकलन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र - माना जाता है: धारा 158 बीडी के तहत नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसके संबंध में तलाशी नहीं ली गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के आवास या व्यावसायिक परिसर से जब्त सामग्री से अघोषित आय ऐसे व्यक्ति से संबंधित पाई गई थी, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी। (ख) इस शर्त के अनुसार जहां कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है, जिसका अर्थ है कि आकलन अधिकारी को यह संतुष्ट होना होगा कि कोई अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है - इस मामले में, यह विवाद में नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी, जो ई फर्म के साथ-साथ अपीलकर्ता का भी आकलन कर रहा है, वह एक ही व्यक्ति है - दूसरे शब्दों में, तलाशी लिए गए व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला वही आकलन अधिकारी वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है - इसलिए, आकलन अधिकारी के पास आईटी अधिनियम के अध्याय XIV-B के तहत ब्लॉक मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार था। चूंकि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट थे कि कोई भी एफ अघोषित आय अपीलकर्ता की है। आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 158 बीसी - धारा 158 बीसी के तहत कर निर्धारण अधिकारी का अधिकार क्षेत्र - ने कहा: तलाशी लिए गए व्यक्ति के खिलाफ धारा 158 बीसी के तहत नोटिस जारी करने से पहले, इस बात से कोई संतुष्टि आवश्यक नहीं है कि अघोषित आय तलाशी गए व्यक्ति की है क्योंकि धारा 158 बीसी G_एक शर्त की बात करती है कि जहां किसी भी व्यक्ति के मामले में धारा 132 या खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की पुस्तकों या धारा 132 ए के तहत कोई तलाशी ली गई थी। फिर, कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा जिसमें उसे निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। एच 338 तपन कुमार दत्ता बनामआयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल अपील को खारिज करते हुए, अदालतने कहा: 1. धारा 158 बीडी के तहत नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसके संबंध में

तलाशी नहीं ली गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के निवास या व्यावसायिक परिसर से जब्त सामग्री से अघोषित आय ऐसे व्यक्ति से संबंधित पाई गई थी, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी। लेखा बही-खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की तलाशी के आधार पर मूल्यांकन अधिकारी की ओर से प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि कोई भी अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है। धारा 158 बीडी के तहत क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी की संतुष्टि पर आधारित है कि: - (ए) अघोषित आय है; (ख) ऐसी अघोषित आय उस व्यक्ति की नहीं है जिसके संबंध में धारा 132 के तहत कार्रवाई की गई थी; और (ग) ऐसी अघोषित आय किसी अन्य व्यक्ति की है। इसलिए, प्राधिकरण के समक्ष करदाता द्वारा किया गया केवल खुलासा इस संतुष्टि तक पहुंचने का आधार नहीं हो सकता है कि कोई भी अघोषित आय उसकी है, जब तक कि जब्त किए गए खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों का संबंधित मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवलोकन, जांच या सत्यापन नहीं किया जाता है। इस मामले में, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अपीलकर्ता धारा 158 बीडी के दायरे में आता है, आकलन अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। [पैरा 8, 9] [343-एफ-जी; 344-डी-एफ]2. धारा 158 बीसी और 158 बीडी को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि तलाशी लिए गए व्यक्ति के खिलाफ धारा 158 बीसी के तहत नोटिस जारी करने से पहले इस आशय की संतुष्टि आवश्यक नहीं है कि अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति की है क्योंकि धारा 158 बीसी एक शर्त की बात करती है कि जहां किसी भी व्यक्ति के मामले में धारा 132 या बही-खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों या धारा 132 ए के तहत मांग के तहत कोई तलाशी ली गई थी। फिर, कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा जिसमें उसे निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। [पैरा 10] [344-एफ-जी]सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 2014। 2005 के आयकर अपील संख्या 174 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 17.11.2005 के निर्णय और आदेश से। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर. अपीलकर्ता की ओर से सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. वी. मोहन, आनंद सेन, सुश्री संचिता अली, जतिन खुर्शीद। प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता, रूपेश कुमार, तुषार भाक्षी, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय आर. के. अग्रवाल, जे.

1 द्वारा सुनाया गया था। यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की आयकर अपील संख्या 174 में पारित दिनांक 17.11.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा पारित 29.04.2005 के फैसले और आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया था: आईटी (एसएस) ए नंबर 174/कोल/2003 में 'डी' बेंच, कोलकाता।

2. संक्षिप्त तथ्य:

(क) अपीलकर्ता "नित्यकाली राइस मिल" (संक्षेप में 'फर्म') नाम से एक साझेदारी फर्म में भागीदार है। दिनांक 06.11.1998 को आयकर विभाग द्वारा फर्म के व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई और 34 लाख रुपये की राशि सहित कई दस्तावेज/पुस्तकें जब्त की गईं।

(ख) तत्पश्चात्, दिनांक 09091999 को आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) की धारा 158 बीसी के अंतर्गत अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था ताकि वह अघोषित आय सहित अपनी कुल आय की सही और सही विवरणी तैयार कर सके और दाखिल कर सके जिसके संबंध में 1989-90 से 1999-2000 की ब्लॉक अवधि के लिए उसका मूल्यांकन किया गया था। उसी दिन, उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के नाम पर धारा 158 बीसी के तहत एक अलग नोटिस जारी किया गया था। उसी के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने 08.11.1999 को उपरोक्त अवधि के लिए अपना ब्लॉक रिटर्न दायर किया, जिसमें उसने अपनी कुल अघोषित आय 14 लाख रुपये घोषित की।

(ग) इस बीच, अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आसनसोल के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें उनके हस्तक्षेप और आईटी अधिनियम की धारा 144 क के तहत आकलन अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। अतिरिक्त आयुक्त ने मेसर्स नित्या काली राइस मिल, कार्तिक दत्ता, शंभू मंडल और तमाल मंडल के मामलों में आईटी अधिनियम की धारा 144 ए के तहत अलग-अलग निर्देश जारी किए और मसौदा मूल्यांकन तपन कुमार दत्ता बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल [आरके अग्रवाल, जे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 158 बीसी के तहत आदेश संयुक्त आयकर आयुक्त, बर्दवान, रेंज-2 को अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसे संयुक्त आयुक्त ने 16-11-2000 को यह कहते हुए लौटा दिया था कि मसौदा मूल्यांकन आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम पर प्राधिकार के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया गया था।

घ) दिनांक 20-11-2000 को आयकर उपायुक्त द्वारा ब्लॉक मूल्यांकन आदेश पारित किया गयाजिसमें कहा गया था कि फर्म के मामले में दाखिल विवरणी को शून्य आय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 158 बीडी के तहत ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के आकलन के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का भी निदेश दिया गया था। अपीलकर्ता को 1989-90 से 1999-2000 की अवधि के लिए ब्लॉक रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी के साथ धारा 158 बीसी के तहत एक नया नोटिस जारी किया गया था। नतीजतन, अपीलकर्ता ने कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 21-10-2002 के एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि 08-11-1999 को उपर्युक्त अवधि के लिए ब्लॉक रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसके

अलावा, नए नोटिस जारी करने से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय XIV के तहत मूल्यांकन पूरा करने के लिए अनुमत समय नहीं बढ़ाया जाता है।

(ङ) दिनांक 29-11-2002 को कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलकर्ता की 3,48,56,430/- रुपये की अघोषित आय का आकलन करते हुए मूल्यांकन आदेश पारित किया। असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील संख्या 133/सीआईटी (ए)/बीडब्ल्यूएन/02-03 को प्राथमिकता दी। दिनांक 18.09.2003 के आदेश के तहत आयकर आयुक्त (अपील) ने कहा कि इस मामले में ब्लॉक अवधि की अघोषित आय को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 3,48,56,430/- रुपये की तुलना में कुल 66,55,911/- रुपये लिया जाना चाहिए।

(च) असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता ने अपील को प्राथमिकता दी। न्यायाधिकरण के समक्ष आईटी (एसएस)/174/कोल/2003। साथ ही, राजस्व ने ट्रिब्यूनल के समक्ष आईटी (एसएस) 178/के/2003 दायर करके अपील में भी गए। अधिकरण ने दिनांक 29-04-2005 के आदेश के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जबकि राजस्व द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 का आईटीए 174। दिनांक 17-11-2005 के निर्णय और आदेश के तहत खंडपीठ ने करदाता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

(छ) दिनांक 17-11-2005 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष इस अपील को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.

3. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद और प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्ण को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

विचारार्थ बिन्दु:-

4. इस न्यायालय के समक्ष विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी के तहत दूसरा (ताजा) नोटिस जारी करना वैध है या नहीं?

प्रतिद्वंद्वी विवाद:

5. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया कि आईटी अधिनियम की धारा 158 बीसी दिनांक 09.09.1999 के तहत जारी किया गया पहला नोटिस वैध नोटिस है और मूल्यांकन उसके अनुसरण में किया जाना है और एओ के पास धारा 158 बीडी के तहत दूसरा

नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि फर्म के साथ-साथ अपीलकर्ता का मूल्यांकन एक ही आकलन अधिकारी द्वारा किया गया था, जिसमें धारा 158 बीडी का कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह केवल उस मामले में लागू होता है जहां फर्म का आकलन करने वाले आकलन अधिकारी के साथ-साथ अपीलकर्ता भी अलग है। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 158 बीसी के तहत फर्म के साथ-साथ अपीलकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप मसौदा मूल्यांकन हुआ और धारा 158 बीडी के तहत नोटिस के आधार पर कार्यवाही वैध नहीं है। वरिष्ठ वकील ने अंत में तर्क दिया कि धारा 158 बीडी के तहत कथित कार्यवाही स्पष्ट रूप से अमान्य है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में जब्त दस्तावेजों की पहचान की है और कार्तिक दत्ता और शंभू मंडल के नाम पर बैंक खाते भी उनके व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में हैं, इसलिए, ब्लॉक अवधि के दौरान अर्जित अघोषित आय अपीलकर्ता की है, न कि फर्म की। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि धारा 158 बीडी के तहत नोटिस उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसके संबंध में तलाशी नहीं ली गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के आवास या व्यावसायिक परिसर से जब्त सामग्री से अघोषित आय ऐसे व्यक्ति से संबंधित पाई गई थी, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी। आकलन अधिकारी ने इस आशय की संतुष्टि दर्ज करने के बाद, अपीलकर्ता को धारा 158 बीसी के साथ धारा 158 बीडी के तहत नोटिस जारी किया और 3,48,56,430/- रुपये की आय का आकलन किया। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि तपन कुमार दत्ता बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल [आर. के. अग्रवाल, जे.]

इस मामले में आकलन अधिकारी की संतुष्टि स्पष्ट है और अपीलकर्ता को आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी के साथ धारा 158 बीसी के तहत नोटिस जारी करने में कोई खामी नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था और इस न्यायालय द्वारा इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा गया है।

चर्चा:-

7. इस मामले में, यह विवाद का विषय है कि 20.11.2000 को जारी किया गया दूसरा नोटिस वैध और सक्षम नहीं है क्योंकि उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.1999 को धारा 158 बीसी के तहत जारी किया गया पहला नोटिस वैध था और मूल्यांकन उस नोटिस के अनुसरण में किया जाना चाहिए और इसलिए, आकलन अधिकारी को दूसरा नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

8. इस मामले के दृष्टिकोण में, आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी का उल्लेख करना उचित है जो निम्नानुसार है:

यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई अघोषित आय उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी या जिसके बही-खातों या अन्य दस्तावेजों या किसी संपत्ति की धारा 132 ए के तहत मांग की गई थी, तो लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या जब्त या मांगी गई परिसंपत्तियों को ऐसे अन्य पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। व्यक्ति और वह कर निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 158 बीसी के तहत कार्रवाई करेंगे और इस अध्याय के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। यह देखा जा सकता है कि धारा 158 बीडी के तहत नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसके संबंध में तलाशी नहीं ली गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के निवास या व्यावसायिक परिसर से जब्त सामग्री से अघोषित आय ऐसे व्यक्ति से संबंधित पाई गई थी, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी। धारा 158 बीडी इस शर्त की बात करती है कि 'जहां आकलन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है', जिसका अर्थ है कि आकलन अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कोई भी अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि मूल्यांकन अधिकारी, जो फर्म के साथ-साथ अपीलकर्ता का आकलन कर रहा है, एक ही व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.

दूसरे शब्दों में, वही आकलन अधिकारी जिसका तलाशी लेने वाले व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है, वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसलिए, वर्तमान मूल्यांकन अधिकारी के पास आईटी अधिनियम के अध्याय XIV-B के तहत ब्लॉक मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार था, यदि मूल्यांकन अधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि कोई अघोषित आय वर्तमान अपीलकर्ता की है।

9. यह अच्छी तरह से तय है कि खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की तलाशी के आधार पर आकलन अधिकारी की ओर से प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि कोई भी अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है। इस तर्क के समर्थन में कि कर निर्धारण अधिकारी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि थी, उनका आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित था कि अघोषित आय वर्तमान अपीलकर्ता की थी, जब उन्होंने 09.09.1999 को धारा 158 बीसी के तहत नोटिस जारी किया था। धारा 158 बीडी के तहत अधिकार क्षेत्र आकलन अधिकारी की संतुष्टि पर आधारित है कि:

(क) अघोषित आय है;

(ख) ऐसी अघोषित आय उस व्यक्ति की नहीं है जिसके संबंध में धारा 132 के तहत कार्रवाई की गई थी; और

(ग) ऐसी अघोषित आय किसी अन्य व्यक्ति की है।इसलिए, वर्तमान करदाता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष किया गया केवल खुलासा इस संतुष्टि तक पहुंचने का आधार नहीं हो सकता है कि कोई अघोषित आय उसकी है, जब तक कि जब्त किए गए खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों का संबंधित मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवलोकन, जांच या सत्यापन नहीं किया जाता है। हमारी राय है कि वर्तमान मामले में, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अपीलकर्ता धारा 158 बीडी के दायरे में आता है, आकलन अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था।

10. इसके अलावा, धारा 158 बीसी और 158 बीडी को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि तलाशी लिए गए व्यक्ति के खिलाफ धारा 158 बीसी के तहत नोटिस जारी करने से पहले इस आशय की कोई संतुष्टि आवश्यक नहीं है कि अघोषित आय तलाशी लेने वाले व्यक्ति की है क्योंकि धारा 158 बीसी एक शर्त की बात करती है कि जहां धारा 132 के तहत कोई तलाशी ली गई थी या खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की मांग की गई थी। कोई भी व्यक्ति, इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा जिसमें उसे निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एक रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, उस समय जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158 बीसी के तहत नोटिस मैसर्स नित्या तपन कुमार दत्ता बनाम आयकर आयुक्त को जारी किया गया था। काली चावल मिल के संबंध में आकलन अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इस बात से संतुष्ट हों कि कोई अघोषित आय मैसर्स नित्या काली राइस मिल की है। मेसर्स नित्या काली राइस मिल के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 132 के तहत तलाशी ली गई। चूंकि धारा 158 बीसी के तहत मैसर्स नित्या काली राइस मिल को जारी नोटिस और अपीलकर्ता को धारा 158 बीसी के तहत जारी नोटिस एक ही दिन यानी 09.09.1999 को थे, इसलिए इस बात से संतुष्ट होने का सवाल उठता है कि जब्त किए गए खातों या दस्तावेजों या संपत्ति पर आधारित कोई भी अघोषित आय वर्तमान अपीलकर्ता की थी या नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति इस तरह की संतुष्टि में नहीं आ सकता है। जब तक जब्त किए गए खातों या दस्तावेजों या परिसंपत्तियों का अवलोकन, जांच और सत्यापन नहीं किया जाता है। इसलिए, आकलन अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचने में सही था कि 09.09.1999 को वर्तमान अपीलकर्ता को धारा 158 बीसी के तहत जारी नोटिस आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। इसलिए, उन्होंने 20.11.2000 को धारा 158 बीडी के तहत एक नया नोटिस (दूसरा नोटिस) जारी करने के लिए सही कदम उठाया, इस संतुष्टि को दर्ज करने के बाद कि जब्त किए गए खातों या दस्तावेजों या संपत्ति या अन्य सामग्रियों के आधार पर कोई भी अघोषित आय अपीलकर्ता की हो सकती है। वास्तव में, वर्तमान मामले में, एओ स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 09.09.1999 को धारा 158 बीसी के तहत निर्धारिती को जारी नोटिस आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी ने संयुक्त आयुक्त के किसी निर्देश के अनुपालन में आईटी अधिनियम

की धारा 158 बीडी के तहत कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि मामला आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी के दायरे में आता है।

11. आईटी अधिनियम की धारा 158 बीडी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आकलन अधिकारी को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि अघोषित आय उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है, जिसके संबंध में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी या जिसके खातों या अन्य दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की धारा 132 ए के तहत मांग की गई थी। धारा 158 बीडी का उद्देश्य आकलन अधिकारी को उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देना है जिसके खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया गया है। यद्यपि धारा 158 बीडी धारा 148 में उल्लिखित 'कारणों को दर्ज करने' की बात नहीं करती है, लेकिन चूंकि धारा 158 बीडी के तहत कार्यवाही के मौद्रिक निहितार्थ हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की संतुष्टि को निष्कर्ष पर पहुंचने में आकलन अधिकारी की मानसिक और निष्पक्ष विचार प्रक्रिया को प्रकट करना चाहिएऔर इसमें ऐसे कारण होने चाहिए जो धारा158 बीडी के तहत कार्यवाही शुरू करने का आधार होना चाहिए।

12. उपर्युक्त के अनुसरण में, हमारा मत है कि आयकर अधिनियम की धारा 144 क के अंतर्गत अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित दिनांक 14.08.2000 के आदेश के तहत उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, कर निर्धारण अधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा घोषित 14 लाख रुपये की तुलना में दो अन्य व्यक्तियों के नाम पर बेनामी कारोबार सहित अपीलकर्ता की अघोषित आय को कुल 17 लाख रुपये में लेने का निर्देश दिया। उनके ब्लॉक में कानून का उल्लंघन करते हुए रिटर्न पारित किया गया था और कानून की नजर में यह टिकाऊ नहीं है।

13. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय का दिनांक 17.11.2005 का निर्णय और आदेश पारित करना सही था और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई है। इसलिए, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अपील को खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल की अपील खारिज।

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2023.10.21 14:41:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court